बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
★ ~~सुरेश कुमार शर्मा~~
मो० ~~9470003023/9431478774~~

महासचिव,
★ सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाधयक्ष :–
संयुक्त सचिवः –
कोषाधयक्षः –
संयुक्त कोषाधयक्षः –

★ ~~सआदत हसन मिन्टू~~
★ राजेन्द्र राम 9431073211
★ राजयनन्द वार्डियार
★ अनिल कुमार
★ चन्द्र शेखर सिंह
★ विनोद आनन्द

प्रशासनिक सेवा संघ बिहार — सत्यमेव जयते

पत्रांक : 24 दिनांक 27-5-2016

सेवा में,

मानीय मुख्यमंत्री,

बिहार।

विषय :– श्री लियान कुंगा (भा0प्र0से0) आयुक्त मगध प्रमंडल गया द्वारा अधिसूचित श्री किशोरी पासवान संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव को सचिव कार्य करने से वंचित करने एवं श्री पासवान को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दण्डित करने की कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 27.05.2016 को बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी की हुई बैठक के आलोक में कहना है कि श्री लियान कुंगा (भा0प्र0से0) आयुक्त मगध प्रमण्डल गया के द्वारा दिनांक–07.04.2016 को श्री किशोरी पासवान संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव को सरकार के द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों को समाप्त कर सभी प्रकार के परमिट स्वयं निर्गत कर रहे हैं जबकि श्री पासवान राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा औरंगाबाद जिले में प्रेक्षक का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आयुक्त मगध प्रमण्डल के द्वारा परमिट निर्गत किया जाना आयुक्त के पद के मर्यादा के विपरीत है जबकि श्री पासवान सरकार के द्वारा संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव के पद पर अधिसूचित है। ऐसे में आयुक्त का कार्य सरकार के आदेश का उल्घंन भी है। सरकार के अधिसूचना के आलोक में श्री पासवान को प्रदत्त शक्ति को वहाल करने का अनुरोध संघ के पत्रांक–18 दिनांक–06.05.2016 द्वारा प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन से किया जा चुका है।

[initials]

जब संघ के द्वारा मामला उठाया गया तब आयुक्त गया को श्री किशोरी पासवान पर गंभीर आरोप एवं मनमानेपन का एहसास हुआ और उन्होने प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन को इसकी सूचना देते हुए इनकी जॉच श्री संजीव कुमार भा0प्र0से उप विकास आयुक्त, गया से कराने का आदेश दिया। ज्ञात हुआ है कि श्री संजीव कुमार भा0प्र0से0 द्वारा श्री किशोरी पासवान के अनुपस्थिति में जाँच की गई है, ऐसा प्रतीत होता है आयुक्त अपने पद के प्रभाव का अनुचित उपयोग कर उप विकास आयुक्त, गया से जाँच अपने पक्ष में कराना चाहता है। श्री लियान कुंगा (भा0प्र0से0) आयुक्त गया से पूर्व श्री आर0 के0 खण्डेवाल (भा0प्र0से0) एवं श्रीमती बन्दना किन्नी (भा0प्र0से0) मगध प्रमण्डल के आयुक्त रह चुके है परन्तु किसी ने भी श्री पासवान पर कोई आरोप नहीं लगाये।

2. श्री पासवान दिनांक–16.05.2016 को राज्यस्तरीय परिवहन विभाग की बैठक में भाग लेने पटना आये। दिनांक–16.05.2016 को श्री पासवान के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में पिन्टु कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया जिसका ओथ संख्या–1345 दिनांक–16.05.2016 है। दिनांक–16.05.2016 को पटना आने के लिए आयुक्त द्वारा श्री पासवान से स्पष्टीकरण पूछा गया है।

3. दिनांक–17.05.2016 को प्रमण्डलीय आयुक्त मगध प्रमण्डल, गया के बैठक में श्री पासवान अनुपस्थित रहने के लिए भी आयुक्त द्वारा श्री पासवान से स्पष्टीकरण पूछा गया जबकि श्री पासवान दिनांक–17.05.2016 को प्रेक्षक के रूप में औरंगाबाद जिले के रफीगंज प्रखण्ड में पंचायत निर्वाचन कार्य कर रहे थे। ज्ञातव्य है श्री पासवान राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा औरंगाबाद जिले में प्रेक्षक नियुक्त किये गये है।

4. उपरोक्त कंडिका (2) एवं (3) से स्पष्ट होता है **''पहले वरीय पदाधिकारी का अनुपालन किया जाय या कनीय पदाधिकारी के आदेश का''** की जानकारी आयुक्त मगध प्रमण्डल को नहीं है। एक अन्य मामले में कुछ संचिका की पूछताछ श्री पासवान से की गई जबकि उक्त संचिका श्री रमेश कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक के द्वारा आयुक्त के सरकारी आवास पर रखा गया था। श्री रमेश 10 वर्षो से आयुक्त कार्यालय में प्रतिनियुक्त है कुछ समय के लिए तत्कालीन आयुक्त श्रीमती बन्दना किन्नी (भा0प्र0से0) द्वारा आवासीय कार्यालय से

क्रमशः/2

हटाकर कार्यालय को भेजा गया था लेकिन वर्त्तमान आयुक्त के द्वारा पुनः आवासीय कार्यालय में उन्हे रखा गया है। श्री रमेश एवं कुमार ब्रजलाल अभिलेखवाह को अपने कार्यो के अतिरिक्त स्थायी/अस्थायी बस परमिट एंव अन्य वाहनों से संबंधित परमिट निर्गत करने हेतु कार्यो का आवंटन स्वयं आयुक्त द्वारा किया गया है। श्री रमेश द्वारा वाहन स्वामी को कहा जा रहा है कि संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव मगध प्रमण्डलीय परिवहन प्राधिकार के विरूद्ध लिखकर दीजिए परमिट मैं दिलवाऊॅगा।

इससे स्पष्ट होता है श्री रमेश, निम्नवर्गीय लिपिक आयुक्त श्री कुंगा का एजेंट के रूप में कार्यकर रहे है एवं शिकायतों का अनुचित आरोप लगाकर श्री पासवान को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे है।

5. श्री लियान कुंगा आयुक्त, गया के पूर्व मुंगेर प्रमण्डल के आयुक्त थे वहॉ भी वे स्वयं परमिट निर्गत किया करते थे।

6. उपरोक्त कंडिका 1, 2, 3, 4 एवं 5 से स्पष्ट होता है श्री लियान कुंगा आयुक्त मगध प्रमण्डल, गया का आचरण भा0प्र0से0 के पदाधिकारी के आचरण के विपरीत है तथा वे सेवा संहिता नियम का उल्लघंन करने पर उतारू है।

संघ आयुक्त, गया के व्यवहार की घोर निन्दा करता है। आयुक्त, गया के विरूद्ध संघ आंदोलित न हो संघ चाहता है कि श्री कुंगा को आयुक्त मगध प्रमंडल के पद से अबिलम्ब स्थानांतरित किया जाय। भा0प्र0से0 के वरिष्ट पदाधिकारी के साथ–साथ बि0प्र0से0 के वरिष्ट पदाधिकारी का टीम गठित कर मामले की जॉंच करायी जाय। तत्काल उपविकास आयुक्त, गया के जॉंच प्रतिवेदन पर रोक लगायी जाय एवं सरकार के अधिसूचना के आलोक में श्री किशोरी पासवान को प्रदत्त शक्ति को बहाल कराया जाय।

(सुशील कुमार)
महासचिव

(राजेन्द्र राम)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुशील कुमार)
महासचिव

प्रतिलिपि :– श्री किशोरी पासवान संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव मगध प्रमण्डल गया को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
महासचिव

प्रतिलिपि :– संपादक, सभी दैनिक समाचार पत्रों हिन्दी/अंग्रेजी को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
महासचिव